(b) As on 1-4-1992 there were 39 villages without supply of safe drinking water in Maharashtra. Of these, 10 villages have been covered upto September, 1992.

(c) An amount of Rs. 33.90 crores has been allocated under the Accelerated Rural Water Supply Programme to the Government of Maharashtra during 1992-93 for coverage of 'No Source' and 370 partially covered villages.

(d) All the problem villages are likely to be provided with clean drinking water by March, 1993.

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का अभाव

1770. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के अभाव अथवा पेयजल से रहित क्षेत्रों के विषय में कोई अध्ययन कराया है जहां आज तक कोई साधन उपलब्ध नहीं कराये गए हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे पिछड़े हुए ग्रामों की जिले-वार संख्या कितनी-कितनी है जहां पेयजल की समस्या बनी हुई है, और

(ग) इन क्षेत्रों में पेयजल कब तक उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी हां। सारे देश मे पेयजल के अभाव वाले गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से रहित इलाकों का पता लगाने के लिए 1980 तथा 1985 में एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) 1-4-1992 को उत्तर प्रदेश में "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिला	1-4-92 को "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
अल्मोड़ा	49
चमोली	8
देहरादून	8
नैनीताल	3
पौड़ी	148
पिथौरागढ़	18
टिहरी	28
	262

*राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उपरोक्त जिलों में 124 अन्य समस्याग्रस्त गांव हैं।

(ग) इन क्षेत्रों में मार्च 1993 तक पेयजल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता योजनाएं

1771. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हालैण्ड के सहयोग से पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए चलाई जा रही कतिपय योजनाएं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से हैंडपम्पों के रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण के लिये उप-परियोजना-6 के लिए कुछेक तकनीकी स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। 8.79 करोड़ रुपये की लागत से लखिमपुर जिले के 694 गांवों में हैंडपम्पों के लिए उप-योजना—6 में वृद्धि और 40.44 करोड़ रुपये की लागत में अलीगढ़, मुरादाबाद, बादायूं, कानपुर (देहात), उन्नाव, तथा बलिया जिलों के 3251 गांवों में हैंडपम्पों के लिये संशोधित उप-परियोजना—8 जो नवम्बर, 1992 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी, की तकनीकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार को छः सप्ताह की अवधि में केन्द्र सरकार के निर्णय से अवगत करा दिये जाने की संभावना है।

Programmes/Projects for Rural Development of Southern States

1772. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the on-going programmes of Rural Development in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra; and

(b) what is the cost of each project and what is Centre's share vis-a-vis each State's share in achieving the target ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) and (b) The major on-going programmes of Rural Development in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and (iii) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP). The cost of these programmes and the Central vis-a-vis State share in achieving the targets during 1992-93 are as under :

Financial allocations made (Rs. in lakh) under

Name of the State	IRDP*	JRY		ARWSP**
		Central Share	State Share	Central Share
1. Andhra Pradesh	4880.00	14954.56	3738.64	2547.00
2. Tamil Nadu	4382.00	13438.89	3359.72	2019.00
3. Karnataka	3054.00	9409.67	2352.42	2342.00
4. Maharashtra	5228.00	15936.64	3984.16	3390.00

*The Central and State Govt. Share the funds for the programme on a 50 : 50 basis.

**Programme is funded fully by the Centre but the States have to give matching provision under MNP.